Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 6–2021] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी, 2021
(20 माघ, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 5/के० अ०36/2003/धा० 180/2021, दिनांक 9 फरवरी, 2021 हरियाणा बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाण–पत्र तथा तार मिस्त्री परमिट नियम, 2021 (प्राधिकृत अंग्रजी अनुवाद सहित)	61–134
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग – III

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 2021

संख्या का०आ० 5/के.अ.36/2003/धा.180/2021.– विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) की धारा 180 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब सरकार, सिंचाई तथा विद्युत विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 133-4EL-62/22977, दिनांक 17 सितम्बर, 1962, हरियाणा राज्यार्थ और इस संबंध में पूर्व में जारी की गई सभी अन्य अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाण–पत्र तथा तार मिस्त्री परमिट प्रदान करने के लिए निबंधन तथा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाण–पत्र तथा तार मिस्त्री परमिट नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागूकरण।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) ये सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्राय है, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) ;

(ख) **''अनुबन्ध''** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुबन्ध ;

(ग) **''अपील प्राधिकारी''** से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग ;

(घ) **''प्रमाण पत्र''** से अभिप्राय है, विभिन्न वोल्टेज स्तर के सभी प्रकार के बिजली प्रतिष्ठान कार्य के निर्माण और स्थापना के पर्यवेक्षण हेतु प्रदान किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र ;

(ड.) **''सक्षम प्राधिकारी''** से अभिप्राय है, मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा ;

(च) **''प्ररूप''** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(छ) **''सरकार''** से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ज) **''संस्था''** से अभिप्राय है ,–

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(झ) **''अनुज्ञप्ति''** से अभिप्राय है, विभिन्न वोल्टेज स्तर के सभी प्रकार के बिजली प्रतिष्ठान कार्यों के निर्माण और स्थापना को कार्यान्वित करने के लिए प्रदान की गई 'ए' श्रेणी की बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति ;

(ञ) **''परमिट''** से अभिप्राय है, अनुज्ञप्त बिजली ठेकेदार के साथ वास्तविक बिजली के कार्य करने के लिए प्रदान किया गया तार मिस्त्री परमिट ;

(ट) **''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय''** से अभिप्राय है ,–

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया है ;

(ठ) **''विनियम''** से अभिप्राय है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 ;

(ड) **''अनुसूची''** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में दिये गए हैं।

स्क्रीनिंग समिति का गठन।

3. सक्षम प्राधिकारी, संबधित क्षेत्र के संबंध में योग्यता, अनुभव और ज्ञान का अभिनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली स्क्रीनिंग समिति का गठन करेगा ,–

(i) कार्यकारी अभियंता; तथा

(ii) अधीक्षक ।

प्रमाण–पत्र के लिए पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यताएं।

4. कोई भी व्यक्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा पात्रता नहीं रखता हो, अर्थात् :–

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी संस्था या बोर्ड या विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिकस इंजीनियरिंग में उपाधि और उपाधि उत्तीर्ण करने के बाद 'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी विभाग या संगठन में बिजली प्रतिष्ठान के निर्माण, संचालन, अनुरक्षण के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखता हो ;

अथवा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी संस्था या बोर्ड या विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिकस इंजीनियरिंग में उपाधि–पत्र और उपाधि–पत्र उत्तीर्ण करने के बाद 'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी विभाग या संगठन में बिजली प्रतिष्ठान के निर्माण, संचालन, अनुरक्षण के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता हो ;

(ख) वह सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को अठारह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष से अधिक की आयु का न हो :

परन्तु वह पच्चपन वर्ष की आयु पूरी होने पर सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल द्वारा, अनुबन्ध I में, जारी किए गए चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा ; तथा

(ग) वह भारत का नागरिक हो।

परमिट के लिए पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यताएं।

5. कोई भी व्यक्ति परमिट प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा पात्रता नहीं रखता हो,–

(क) किसी संस्था या बोर्ड से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिकस इंजीनियरिंग में उपाधि–पत्र और 'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी विभाग या संगठन में बिजली तार और अन्य स्थापना कार्य में एक वर्ष के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण किया हो;

अथवा

किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से तार मिस्त्री, लाइनमैन और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रमाण–पत्र या उपाधि–पत्र और शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र रखता हो, और 'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी विभाग या संगठन में बिजली तार और अन्य स्थापना कार्य में तीन वर्ष (इसमें शिक्षुता अवधि भी शामिल है) के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण किया हो ;

(ख) वह सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को अठारह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष से अधिक की आयु का न हो :

परन्तु वह पच्चपन वर्ष की आयु पूरी होने पर सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल द्वारा, अनुबन्ध I में, जारी किए गए चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा ; तथा

(ग) वह भारत का नागरिक हो।

6. (1) आवेदक, अपेक्षित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां तथा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित **प्ररूप I** में प्रमाण–पत्र या परमिट प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा। प्रमाण–पत्र या परमिट के लिए आवेदन।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए उसे स्क्रीनिंग समिति को भेजेगा। स्क्रीनिंग समिति आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करेगी और उसके बाद आवेदक को नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे स्थान पर और ऐसी तिथि को व्यक्तिगत रूप में मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगी। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, स्क्रीनिंग समिति, अपनी सिफारिशों सहित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन भेजेगी।

(3) स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद और सभी सुसंगत शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन, सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को **प्ररूप II या III** में प्रमाण–पत्र या परमिट, जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा। आवेदक उसे कार्यालय वैबसाइट से डॉउनलोड करेगा :

परन्तु यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर आवेदन और/या समर्थित दस्तावेजों में कोई त्रुटि ध्यान में आती है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी और उसके बारे में आवेदक को नियमानुसार सात दिन के भीतर संसूचित करेगा।

7. इन नियमों के अधीन प्रदत्त प्रत्येक प्रमाण–पत्र या परमिट प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा तथा पांच वर्ष की अनधिक अवधि के लिए वैध होगा। प्रमाण–पत्र तथा परमिट की वैधता।

परन्तु प्रमाण–पत्र या परमिट धारकों को उसकी रदद् अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के बिजली कार्य करने की अनुमति नहीं होंगी।

8. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन प्रमाण–पत्र या परमिट प्रदान किया गया है, ऐसे प्रमाण–पत्र या परमिट की **वैधता** की समाप्ति से एक मास पूर्व अपेक्षित दस्तावेजों तथा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित **प्ररूप IV** में प्रमाण–पत्र या परमिट के नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा : प्रमाण–पत्र तथा परमिट का नवीकरण।

परन्तु नवीकरण के लिए उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, सक्षम प्राधिकारी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी विलम्ब फीस सहित ऐसे प्रमाण–पत्र या परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन ग्रहण कर सकता है :

परन्तु यह और कि पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी प्रमाण–पत्र या परमिट का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए उसे स्क्रीनिंग समिति को भेजेगा। स्क्रीनिंग समिति आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करेगी और, अपनी सिफारिशों सहित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन भेजेगी।

(3) स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद और सभी सुसंगत शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन, सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को **प्ररूप V या VI** में प्रमाण–पत्र या परमिट, जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा। आवेदक उसे कार्यालय वैब साइट से डाऊलोड करेगा :

परन्तु यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर आवेदन और/या समर्थित दस्तावेजों में कोई त्रुटि ध्यान में आती है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी और उसके बारे में आवेदक को नियमानुसार सात दिन के भीतर संसूचित करेगा।

9. सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति को जारी किए गए किसी प्रमाण–पत्र या परमिट को ऐसी अवधि, जो वह उचित समझें, के लिए निलंबित करने या वापिस लेने के आदेश करने की शक्तियां होंगी, यदि उसकी राय में, उसका धारक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों की पालना नहीं करता है या किसी अन्य अनाचार का दोषी है : प्रमाण–पत्र तथा परमिट का निलंबन करना या वापिस लेना।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रमाण–पत्र या परमिट के निलम्बन या वापिस लेने का कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

प्रमाण–पत्र के स्तर का उन्नयन करना।

10. सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति की योग्यताएं तथा अनुभव को सुनिश्चित करते हुए उसे जारी किए गए किसी प्रमाण–पत्र का उन्नयन करने की शक्तियां होंगी। तथापि, आगे कोई भी उन्नयन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह परिचालन और अनुरक्षण से संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं कर लेता है। वह अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस सहित **प्ररूप VII** में यथा वर्णित सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। तथापि, तैतीस के०वी० लेवल से अधिक का प्राधिकार, केवल ऐसे प्रमाण–पत्र के धारक को प्रदान किया जाएगा, जो किसी विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिकस इंजीनियरिंग में उपाधि रखता हो। प्रमाण–पत्र परीक्षा के आधार पर पहले से ही प्रदान किए गए प्रमाण–पत्र को अपेक्षित अनुभव अर्थात् डिप्लोमा धारक को पांच वर्ष पूर्ण करने के उपरांत, आई०टी०आई० प्रमाण–पत्र धारक को दस वर्ष पूर्ण करने के उपरांत और अन्य को पन्द्रह वर्ष पूर्ण करने के उपरांत ही पूर्व प्रैक्टिस के अनुसार उन्नयन किया जाएगा।

प्रमाण–पत्र और परमिट का अंतरण।

11. किसी अन्य राज्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र या परमिट धारक किसी व्यक्ति को अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस के भुगतान पर उसके प्रमाण–पत्र या परमिट को पृष्ठांकित (नियम 4 तथा 5) में यथा वर्णित योग्यताओं और अनुभव के मानदण्ड को पूरा करने के अध्यधीन करवाने पर 'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार के साथ अनिवार्य अमले के रूप में हरियाणा राज्य में बिजली पर्यवेक्षक या तार मिस्त्री के रूप में कार्य करने के लिए अनुमत किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता, अर्हक अमला और मानदण्ड।

12. कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों और मानदण्ड को पूरा नहीं करता है, अर्थात् :–

(क) वह भारत का नागरिक होना चाहिए ;

(ख) वह सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को अठारह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष की आयु से अधिक का न हो ;

(ग) उसका हरियाणा राज्य में पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए, जिसके लिए हरियाणा राज्य के लिए जी०एस०टी० पंजीकरण प्रस्तुत करेगा ;

(घ) उसके पास ड्राईंग (650 वोल्ट से अधिक के मामले में) तैयार करने के लिए पर्याप्त ड्राईंग सुविधाएं और अनुबंध– II के अनुसार पुस्तकालय सुविधाएं होनी चाहिए ;

(ड.) वह अनुबंध कार्यों के प्रयोजन के लिए पूर्णकालिक आधार पर निम्नलिखित अर्हक अमला नियोजित करेगा और अनुबंध–III में उनकी सहमति तथा घोषणा संलग्न करेगा और उसके अनिवार्य अमले के साथ व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होगा,–

(i) **एल०टी०**– सक्षम प्राधिकारी द्वारा **जारी प्रमाण–पत्र** रखने वाले एक बिजली पर्यवेक्षक और एक तार मिस्त्री/पर्यवेक्षक नियोजित किया जाएगा ;

(ii) **एच०टी०**– संबंधित वोल्टेज लेवल, जिसके लिए ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र रखने वाले एक बिजली पर्यवेक्षक और दो तार मिस्त्री या पर्यवेक्षक नियोजित किये जाएंगे ;

(iii) **ई०एच०टी०**– सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र रखने वाले दो बिजली पर्यवेक्षक, जिसमें से एक संबंधित वोल्टेज लेवल, जिसके लिए ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है, से होना चाहिए और तीन पर्यवेक्षक या तार मिस्त्री नियोजित किये जाएंगे :

परन्तु अनुज्ञप्त 'ए' बिजली ठेकेदार के साथ अनिवार्य अमले के रूप में कार्यरत प्रमाण–पत्र धारक या तार मिस्त्री धारक को कार्य छोड़ने से पहले फर्म या कम्पनी या ठेकेदार को एक मास का नोटिस देना होगा या इस संबंध में 'निराक्षेप प्रमाण–पत्र' सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पण.– उत्पादन या विनिर्माण से संबंधित ईकाइयां, कारखानों के नियमित परिचालनों के लिए नियोजित अमले से ठेकेदार अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए नियोजित अमले को अलग करना चाहिए। अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया के अधीन या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 3 तथा 5 के अधीन नियोजित अमले को किसी भी कारण से परस्पर मिलाया नहीं जाएगा। अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया और उक्त विनियमों के प्रयोजन के लिए अलग से अमला रखने में असफल होने पर, इन नियमों की उल्लंघना समझी जाएगी और अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए दायी होगी ;

(च) अनुबंध– IV के अनुसार वोल्टेज के विभिन्न लेवलों के लिए बिजली उपकरण खरीद किए जाएंगे और वे आई०एस०आई० मार्क या समकक्ष गुणवत्ता के होंगे और उपकरणों की जांच के समय पर बीजक सहित जांच प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और उपकरणों की सरकार द्वारा अनुमोदित एन०ए०बी०एल० मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा सम्यक् रूप से जांच होनी चाहिए। अनुज्ञप्ति के प्रत्येक नवीकरण के लिए बिजली उपकरणों की भी सरकार द्वारा अनुमोदित एन०ए०बी०एल० मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा सम्यक् रूप से जांच होनी चाहिए। तथापि, आवेदक, सक्षम प्राधिकारी को कार्यालय में भौतिक जांच के लिए अपने बिजली उपकरणों को प्रस्तुत करेगा ;

(छ) वह आवेदन के साथ अंतिम तीन वर्ष की आयकर विवरणी और आवर्त/तुलन पत्र संलग्न करेगा। विभिन्न प्रवर्गों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए पात्रता नियमानुसार होगी :–

(i) **एम०वी०** (650 वोल्ट) तक, अंतिम तीन वर्ष के दौरान एक वर्ष में न्यूनतम बीस लाख का आवर्त ;

(ii) **एच०वी०** तक– अंतिम तीन वर्ष के दौरान एक वर्ष में न्यूनतम पचास लाख का आवर्त ;

(iii) **ई०एच०वी०** तक– अंतिम तीन वर्ष के दौरान एक वर्ष में न्यूनतम एक करोड़ रूपये का आवर्त ;

(ज) वह उपरोक्त यथा वर्णित के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा,–

(i) अनुबंध–V में फर्म/कंपनी के संबंध में वचनबद्धता ;

(ii) आवास सबूत अर्थात् आधार कार्ड/मतदाता कार्ड ;

(iii) स्थाई खाता संख्या (पीएएन) ;

(iv) भागीदारी फर्म/कंपनी के मामले में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में प्राधिकार ;

(v) भागीदारी फर्म/कंपनी के मामले में प्रस्ताव सहित ज्ञापन/विलेख।

13. (1) आवेदक, हरियाणा राज्य में अनुबंध–VI में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों पर 650 वोल्ट तक कम दाब, मध्यम दाब के सभी प्रकार के बिजली प्रतिष्ठानों के निर्माण और स्थापना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां तथा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित **प्ररूप VIII** में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा : अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।

परन्तु उक्त अनुज्ञप्ति का धारक, वचनबद्धता भी प्रस्तुत करेगा कि वह श्रम विधियों के उपबन्धों की अनुपालना करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए उसे स्क्रीनिंग समिति को भेजेगा। स्क्रीनिंग समिति आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करेगी और उसके बाद आवेदक को नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे स्थान पर और ऐसी तिथि को व्यक्तिगत रूप में मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगी। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, स्क्रीनिंग समिति, अपनी सिफारिशों सहित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन भेजेगी।

(3) स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद और सभी सुसंगत शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन, सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को **प्ररूप IX** में अनुज्ञप्ति जारी करेगा। आवेदक उसे कार्यालय वैब साइट से डाऊलोड करेगा :

परन्तु यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर आवेदन और/या समर्थित दस्तावेजों में कोई त्रुटि ध्यान में आती है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी और उसके बारे में आवेदक को नियमानुसार सात दिन के भीतर संसूचित करेगा।

14. इन नियमों के अधीन प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाएगी तथा पांच वर्ष की अनधिक अवधि के लिए वैध होगा। अनुज्ञप्ति के लिए वैधता।

परन्तु अनुज्ञप्त बिजली ठेकेदार को सभी प्रकार के बिजली प्रतिष्ठान कार्य के निर्माण और स्थापना को कार्यान्वित करने के लिए इसकी रदद् अवधि के दौरान अनुमति नहीं होगी या अमले की अनिवार्यता के कारण अनुज्ञप्ति रद्द होने की स्थिति में, अनुज्ञप्ति उसके नवीनीकरण तक की ऐसी अवधि के लिए रद्दकरण के लिए दायी होगी।

अनुज्ञप्ति का नवीकरण।

15. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इन शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति से एक मास पूर्व अपेक्षित दस्तावेजों तथा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित **प्ररूप X** में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा :

परन्तु नवीकरण के लिए उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, सक्षम प्राधिकारी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी विलम्ब फीस सहित ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन ग्रहण कर सकता है :

परन्तु यह और कि पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए उसे स्क्रीनिंग समिति को भेजेगा। स्क्रीनिंग समिति आवेदन की प्रमाणिकता सत्यापित करेगी और, अपनी सिफारिशों सहित सक्षम प्राधिकारी को आवेदन भेजेगी।

(3) स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद और सभी सुसंगत शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन, सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को **प्ररूप XI** में अनुज्ञप्ति जारी करेगा। आवेदक उसे कार्यालय वैब साइट से डाऊलोड करेगा :

परन्तु यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर आवेदन और/या समर्थित दस्तावेजों में कोई त्रुटि ध्यान में आती है, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन रद्द करने की शक्तियाँ होंगी और उसके बारे में आवेदक को नियमानुसार सात दिन के भीतर संसूचित करेगा।

अनुज्ञप्ति का निलंबन या वापिस लेना।

16. सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति को जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति को ऐसी अवधि, जो वह उचित समझें, के लिए निलंबित करने या वापिस लेने के आदेश करने की शक्तियां होंगी, यदि उसकी राय में, उसका धारक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों की पालना नहीं करता है या किसी अन्य अनाचार का दोषी हैः

परन्तु सक्षम प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना 'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति का निलम्बन करने या वापिस लेने का कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

वोल्टेज स्तर का उन्नयन करना।

17. सक्षम प्राधिकारी को किसी आवेदक की इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट योग्यताओं के साथ–साथ संबंधित क्षेत्र में पर्यवेक्षक/तार मिस्त्री के रूप में उसके अनुभव को सुनिश्चित करते हुए उच्चतम वोल्टेज लेवल पर कार्य कार्यान्वित करने के लिए किसी 'ए' श्रेणी बिजली अनुज्ञप्ति का उन्नयन करने की शक्तियां होंगी। तथापि, आगे कोई भी उन्नयन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं कर लेता है। आवेदक, नियम 12 में यथा विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन अपेक्षित दस्तावेजों और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित **प्ररूप XII** में सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा।

अनुज्ञप्ति का अन्तरण।

18. (1) किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति धारक किसी व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन कि ऐसा व्यक्ति, सरकार द्वारा प्रदान किए गए कार्यों के निष्पादन के लिए अनुज्ञप्ति के लिए सभी अपेक्षाएं पूरी करेगी, हरियाणा राज्य में उसे अन्तरित करवाने के लिए अनुमत किया जाएगा। आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस सहित सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा।

(2) किसी व्यक्ति को अधिकतम छह मास की अवधि के लिए अस्थाई रूप से हरियाणा राज्य में आंवटित कार्य को करने /पूरा करने के लिए इस शर्त के अध्यधीन अनुमत किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति के पास किसी राज्य द्वारा जारी वैध अनुज्ञप्ति होनी चाहिए :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के साथ ही साथ अनिवार्य अमले से संबंधित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों और अनुसूची में यथा विर्निदिष्ट ऐसी फीस सहित **प्ररूप VIII** में सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगीं/करेगा।

अपील।

19. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अपेक्षित दस्तावेजों सहित सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील दायर कर सकता है।

अनुज्ञप्ति में परिवर्तन।

20. अनुज्ञप्ति का कोई धारक, जो व्यवसाय परिसर या दुकान के नाम या पता में या फर्म अथवा कंपनी के गठन में परिवर्तन करवाने का इच्छुक है, तो सुसंगत दस्तावेजों और अनुसूची में यथा विर्निदिष्ट ऐसी फीस सहित सक्षम प्राधिकारी को नया ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

21. सक्षम प्राधिकारी, सरकार द्वारा प्रदान किए गए टर्नकी कार्यों वाली किसी फर्म या कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से उच्चतम वोल्टेज लेवल बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है : टर्नकी ठेकेदार अनुज्ञप्ति।

परन्तु ऐसी फर्म या कंपनी किसी अन्य राज्य की समरूप स्तर की बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति रखती हो :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति किसी फर्म या कंपनी को बारी आए बिना प्रदान की जा सकती है, बशर्तें ऐसी फर्म या कंपनी के पास सरकार द्वारा प्रदान किया गया और निष्पादित किए जाने के लिए लम्बित वैध टर्नकी कार्य हो। तथापि, यह अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षित निबन्धनों और शर्तों को पूरा करेंगी।

22. (1) यदि कोई प्रमाण–पत्र या परमिट या अनुज्ञप्ति, जैसी भी स्थिति हो, नष्ट हो जाती है या गुम हो जाती है या विरूपित या विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आवेदक सुसंगत दस्तावेजों और अनुसूची में यथा विर्निदिष्ट ऐसी फीस सहित **प्ररूप XIII** में सक्षम प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करेगा। प्रमाण–पत्र, परमिट और अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि प्रदान करना।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, आवेदक के दस्तावेजों की प्रमाणिकता और पहचान का सत्यापन करने के बाद, शेष अवधि के लिए यथा संभव शीघ्र प्रमाण–पत्र या परमिट या अनुज्ञप्ति, जैसी भी स्थिति हो, की प्रतिलिपि जारी करेगा। आवेदक उसे कार्यालय वैबसाइट से डाऊनलोड करेगा।

23. इन नियमों के अधीन सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद सभी सेवाओं का निपटान करने की समयावधि तीस दिन होगी। सेवाओं के लिए समयावधि।

24. (1) इस प्रकार अधिक्रमित पंजाब सरकार, सिंचाई तथा विद्युत विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 133-4EL-62/22977 दिनांक 17 सितम्बर, 1962, हरियाणा राज्यार्थ, और इस संबंध में पूर्व जारी की गई सभी अन्य अधिसूचनाओं के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के समरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी। व्यावृत्ति।

(2) इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण–पत्र या परमिट या अनुज्ञप्ति, ऐसी अवधि, जिसके लिए वह जारी किया गया है/की गई है, की समाप्ति तक वैध रहेगी। आगे आवेदक, इन नियमों के अधीन अपना प्रमाण–पत्र या परमिट या अनुज्ञप्ति, जैसी भी स्थिति हो, का नवीकरण करवाने के लिए पात्र होगा।

प्ररूप I

{देखिए नियम 6 (1)}

सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट प्रदान करने के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम : ____________________

2. पिता का नाम : ____________________

3. लिंग : ____________________

4. राष्ट्रीयता : __________ आधार संख्या ____________________

5. जन्म तिथि : __________ आयुः __________ दिन __________ मास __________ वर्ष __________

6. स्थायी पता : ____________________

____

7. संसूचना के लिए पता : ____________________

____

8. मोबाईल नं० : __________ ई–मेल आई.डी. : ____________________

9. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता :

क्रम संख्या	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्त अंक/अधिकतम अंक	प्रतिशतता

10. क्या आप किसी राज्य अनुज्ञापन बोर्ड/मुख्य बिजली निरीक्षक द्वारा जारी किए गए सक्षमता प्रमाण–पत्र/तार मिस्त्री परमिट के धारक हैं। यदि ऐसा है, तो विवरण दें :

क्रम संख्या	प्रवर्ग	परमिट संख्या	जारी करने वाला प्राधिकारी	वैद्यता सहित जारी करने की तिथि

11. क्या आप स्थायी आधार पर नियोजित है, यदि ऐसा है, तो विवरण दे :

क्रम संख्या	नियोक्ता का नाम	आवेदक द्वारा धारित पद का विवरण	से	तक

12. अनुभव का विवरण :

क्रम संख्या	नियोक्ता का नाम	आवेदक द्वारा धारित पद का विवरण	से	तक

13. फीस का विवरण :

राशि	चालान / जीआरएन संख्या	तिथि	खजाने का नाम

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही हैं। मैं, खाना संख्या 10 में दर्शाए गए से अन्यथा राज्य अनुज्ञापन बोर्ड / मुख्य बिजली निरीक्षक द्वारा जारी किए गए पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र का धारक नहीं हूँ। मैं इस आवेदन के अनुसरण में जारी किए जाने वाले मेरे सक्षमता प्रमाण–पत्र को रद्द करने के लिए भी सहमत हूँ। यदि, आवेदन में प्रस्तुत किए गए विवरण किसी भी स्तर पर गलत या झूठे पाए जाते हैं।

स्थान : ________________

दिनांक : ________________ आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की छाया प्रतियां :–

1. मैट्रिकुलेशन प्रमाण–पत्र, जिसमें जन्म तिथि दर्शाई गई हो।
2. निवास सबूत।
3. पहचान सबूत।
4. दो फोटोग्राफ।
5. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि / उपाधि पत्र या इसके समकक्ष।
6. अनुभव प्रमाण–पत्र।
7. आवेदक के हस्ताक्षर के तीन नमूने।
8. सरकारी / सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।
9. सेवानिवृत्त अभिंयता के मामले में सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति।
10. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 –51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां' प्राप्तियों के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन हेतु खजाना चालान ।

प्ररूप II

{देखिए नियम 6 (3)}

संख्या ई. सी. __________/20__________ दिनांक जन्म तिथि :

सक्षमता प्रमाण पत्र का फॉरमैट

मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा की संतुष्टि हो गई है कि श्री/श्रीमती ______________ सुपुत्र/सुपुत्री श्री ______________________ निवासी ______________ की स्क्रीनिंग समिति द्वारा अभिनिश्चित योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार सक्षमता प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए पात्र पाया गया है/पाई गई है। इसके द्वारा सक्षमता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

दिनांक :

मुख्य बिजली निरीक्षक,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

अनुदेश

1. इस प्रमाण–पत्र का पाँच वर्ष में एक बार इसकी समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीकरण करवाया जाना है, जिसमें असफल रहने पर यह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
2. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 –51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन के लिए खजाना चालान।
3. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।

प्ररूप –III

{देखिए नियम 6 (3)}

संख्या ई. सी. __________/20__________ दिनांक जन्म तिथि :

तार मिस्त्री परमिट के लिए फॉरमैट

मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा की संतुष्टि हो गई है कि श्री/श्रीमती ____________________ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _______ निवासी ______________ की स्क्रीनिंग समिति द्वारा अभिनिश्चित योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार तार मिस्त्री परमिट प्रदान करने के लिए पात्र पाया गया है/पाई गई है। इसके द्वारा तार मिस्त्री परमिट प्रदान किया जाता है।

दिनांक :

मुख्य बिजली निरीक्षक,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

अनुदेश

1. इस प्रमाण–पत्र का पाँच वर्ष में एक बार इसकी समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीकरण करवाया जाना है, जिसमें असफल रहने पर यह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
2. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 –51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन के लिए खजाना चालान।
3. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।

प्ररूप –IV

{देखिए नियम 8 (1)}

सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन

मैं, इसके द्वारा, मेरे सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ, जो इसके साथ संलग्न है और ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

1	(क)	आवेदक का नाम (जैसा सक्षमता प्रमाण– पत्र/तार मिस्त्री परमिट में दिया गया है)	
	(ख)	आयु और जन्म तिथि	
	(ग)	तिथि, जिसको आवेदक पचपन वर्ष की आयु पूरी करता है (यदि आयु पचपन वर्ष से अधिक है तो चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	
2	पिन कोड सहित वर्तमान पता		
3	पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण–पत्र संख्या/तार मिस्त्री परमिट संख्या		
4	समाप्ति की तिथि		
5	क्या आवेदन नवीकरण के लिए विलम्ब से किया गया है, यदि ऐसा है तो नवीकरण के लिए विलम्ब की अवधि (मास और वर्ष में)		
6	जमा करवाई गई फीस के ब्यौरे		
	खजाना का नाम		
	जीआरएन संख्या और चालान की तिथि		
	जमा करवाई गई राशि		
7	नियोक्ता का नाम और पता, यदि कोई हो। यदि नियोक्ता ठेकेदार है तो उसकी अनुज्ञप्ति संख्या वर्णित की जाए।		
8	क्या अंतिम नवीकरण की उत्तरवर्ती अवधि के दौरान नियोक्ता में कोई परिर्वतन है।		

घोषणा

1. आवेदन में दी गई जानकारी सही है।
2. मैं ठेकेदार के रूप में/ठेकेदार के निमित्त आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान : ________________

दिनांक : ________________ आवेदक के हस्ताक्षर

निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं :–

1. मूल सक्षमता प्रमाण–पत्र/ तार मिस्त्री परमिट।

2. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 –51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन हेतु खजाना चालान।

3. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।

4. सक्षमता प्रमाण–पत्र/ तार मिस्त्री परमिट की समाप्ति के मामले में, रद्द अवधि के दौरान विलम्ब या कार्यरत नहीं रहने के लिए वचनबद्धता।

5. वर्तमान कार्य स्थिति ।

प्ररूप –V

{देखिए नियम 8 (3)}

संख्या ई० सी० __________/20__________दिनांक जन्म तिथि :

सक्षमता प्रमाण पत्र का नवीकरण

मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा की संतुष्टि हो गई है कि श्री/श्रीमती ______________ सुपुत्र/सुपुत्री श्री ______________ निवासी ______________ की स्क्रीनिंग समिति द्वारा अभिनिश्चित योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार सक्षमता प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए पात्र पाया गया है/पाई गई है। इसके द्वारा सक्षमता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।

दिनांक :

मुख्य बिजली निरीक्षक,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

अनुदेश

1. इस प्रमाण–पत्र का पाँच वर्ष में एक बार इसकी समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीकरण करवाया जाना है, जिसमें असफल रहने पर यह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
2. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 –51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां ' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन के लिए खजाना चालान।
3. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।

प्ररूप –VI

{देखिए नियम 8 (3)}

संख्या ई. सी. ___________ / 20___________ दिनांक जन्म तिथि :

तार मिस्त्री परमिट का नवीकरण

मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा की संतुष्टि हो गई है कि श्री/श्रीमती _____________________ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____________________ निवासी _____________________ की स्क्रीनिंग समिति द्वारा अभिनिश्चित योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार तार मिस्त्री परमिट प्रदान करने के लिए पात्र पाया गया है/पाई गई है। इसके द्वारा तार मिस्त्री परमिट प्रदान किया जाता है।

दिनांक :

मुख्य बिजली निरीक्षक,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

अनुदेश

1. इस प्रमाण–पत्र का पाँच वर्ष में एक बार इसकी समाप्ति की तिथि से पूर्व नवीकरण करवाया जाना है, जिसमें असफल रहने पर यह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
2. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 –51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां ' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन के लिए खजाना चालान।
3. सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र, यदि वह आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पचपन वर्ष की आयु से अधिक का हो।

प्ररूप VII

[देखिए नियम 10]

सक्षमता प्रमाण–पत्र के उन्नयन के लिए आवेदन

1	नाम	
2	पता तथा पिन कोड	
3	योग्यता	
	शैक्षणिक	
	व्यावसायिक	
4	आवेदक द्वारा धारित पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण–पत्र के ब्यौरे	
	प्रमाण–पत्र संख्या	
	जारी करने की तिथि	
	वर्तमान स्थिति	
5	अनुभव	

	नियोक्ता का नाम	आवेदक द्वारा धारित पद के विवरण	से	तक

अनुभव की कुल अवधि	वर्ष		मास	

6	क्या पूर्व में उन्नयन के लिए आवेदन किया गया है ? यदि ऐसा है तो, साक्षात्कार के लिए बुलाने वाली तिथि वर्णित करें।	
7	आवेदिक क्षेत्र वोल्टेज लेवल	

स्थान : ____________________

दिनांक :____________________

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :

1. सक्षमता प्रमाण–पत्र की प्रति।
2. अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति, यदि कोई हो।

प्ररूप VIII

{देखिए नियम 13 (1)}

'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

1	नाम, जिसके लिए बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है	
2	व्यावसायिक पता– पिन कोड– ई मेल– दूरभाष नं०–	
3	कंपनी की शैली : कंपनी अधिनियम के अधीन सम्बद्ध स्वामित्व / कंपनी / फर्म यदि कंपनी / फर्म है, तो फर्म / कंपनी की स्थिति को साबित करने के लिए दस्तावेज संलग्न करे।	
4	क्या कंपनी के पास हरियाणा / राज्य संघक्षेत्र चण्डीगढ़ / एनसीटी दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय।	
5	स्वामित्व या भागीदारों / निदेशकों का पूरा नाम और पता 1 2 3 4	
6	एजेंट या प्रबन्धक का पूरा नाम (लिमिटेड कंपनी के मामले में)	
7	क्या आवेदक विनिर्माण फर्म या उत्पादन ईकाई है।	
8	दस्तावेजों और हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम।	
9	क्या कोई ठेकेदार अनुज्ञप्ति पूर्व में उसी नाम से प्रदान की गई है ? यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे दें।	
10	क्या कोई ठेकेदार अनुज्ञप्ति किसी अन्य राज्य से इसी नाम से प्रदान की गई है ? यदि ऐसा है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :– जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम – जारी करने की तिथि – अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि – निष्पादित किए जाने वाले अनुमत कार्य के ब्यौरे –	
11	क्या ड्राईंग, ब्लू प्रिंट इत्यादि को तैयार करने के लिए पर्याप्त ड्राईंग कार्यालय की सुविधाएं उपलब्ध हैं (650 वोल्टेज से अधिक के मामले में)।	
12	क्या खाना 13 में दर्शाया गया अमला, इन नियमों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के अनुसार कार्य करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित हैं।	

13	तकनीकी योग्यताएं और अनुभव, जो ए श्रेणी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं, रखने वाले पूर्णकालिक आधार पर नियोजित सभी व्यक्तियों के नाम।			
क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	योग्यताएं	प्रमाण–पत्र और परमिट संख्या तथा उनकी वैधता की तिथि	क्या संलग्न प्ररूप में की गई घोषणा साथ लगाई गई है।

14. क्या अनुबंध–II के अनुसार ई–पुस्तकालय/पुस्तकालय उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो सबूत संलग्न करें।

15. हरियाणा में किए गए प्रमुख कार्य

(विद्युत निरीक्षाणालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार योजना, प्रतिष्ठान आदि के विवरण की सूची के साथ संलग्न किया जाना चाहिए)।

16. (i) राज्य अनुज्ञापन बोर्ड/ मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा

(ii) सरकार और अन्य एजेसिंयों

(iii) किसी विधि न्यायालय द्वारा, कंपनी/फर्म पर अधिरोपित दंड और शास्ति के ब्यौरे।

घोषणा

- मैंने/हमने बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति ए श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए शर्तों और आवेदन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और प्रांसगिक दस्तावेज कालानुकमिक क्रम में संलग्न हैं।
- मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते है कि खाना 13 में विनिर्दिष्ट अमला, इन नियमों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के अधीन कार्य करने के लिए विशेष रूप से आशयित हैं। अमले की सेवा, स्थापना के नियमित संचालन के लिए उपयोग नहीं की जाएगी और न ही उन्हें उक्त विनियमों के विनियम 3 और 5 के अधीन नियोजित अमले के साथ मिलाया जाऐगा। मैं/हम, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ–साथ विद्युत प्रतिष्ठान से संबंधित भारतीय मानक संस्थानों के अभ्यास और मानकों के प्रासंगिक की संहिता की प्रति है। मैं/हम निबंधनों और शर्तों, जिसके अधीन बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, को पूर्ण रूप से समझता हूँ/समझते हैं, जिनमें से किसी का उल्लंघन अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए दायी होगा।
- मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम श्रम विधियों के प्रसांगिक प्रावधानों का पालन करूगा/करेंगे।
- मैं/हम इसके द्वारा ऐसे रजिस्टरों और अभिलेखों को बनाए रखने के लिए भी सहमत हूँ/हैं, जो बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूपों में विहित किए जाए।
- मैं/हम, इसके द्वारा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन में प्रस्तुत तथ्य मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य और सही है और इनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- मैं/हम इसके द्वारा, फर्म के निमित्त व्यक्तिगत रूप में इस आवेदन को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं।
- मैं/हम पूरी तरह से जानता हूँ/जानते हैं कि इस स्वतः घोषणा की वैधता किसी विधि न्यायालय में सम्यक् रूप से तथ्य के कथन की शपथ के समरूप है और इस आवेदन में उपलब्ध करवाई गई कोई झूठी जानकारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की प्रासिंगक धाराओं के अधीन दण्ड के लिए दायी होगी।

स्थान : ________________

दिनांक : ________________ आवेदक/फर्म/कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज :

1. मूल सक्षमता प्रमाण–पत्र और तार मिस्त्री परमिट, जो फर्म/कंपनी में कार्यरत हैं और इसके साथ उनकी लिखित सहमति और व्यक्तिगत रूप में उपस्थिति, यदि ऐसा समझना आवश्यक हो।
2. शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट आयकर विवरणी और तुलन पत्र।
3. पैन संख्या/आधार संख्या/आयु प्रमाण–पत्र।
4. बिजली उपकरणों के संबंध में एनएबीएल या सरकारी जांच प्रयोगशाला से व्यासमापन प्रमाण–पत्र तथा उनके बिल।
5. अनुबंध **III** तथा **V** की प्रतियां।
6. हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के खजाना चालान की प्रति।
7. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 –51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां'।

प्ररूप IX

{देखिए नियम 13 (3)}

केवल हरियाणा राज्य हेतु | केवल 650 वोल्टेज तक प्राधिकृत

संख्या – | दिनांक

'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु फॉरमैट

इसके द्वारा, श्री/श्रीमती ____

____

को अनुबंध VI में यथाविहित शर्तों के अध्यधीन हरियाणा राज्य में विद्युत प्रतिष्ठापन कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

स्वामी/भागीदारों/निदेशकों के नाम : | पर्यवेक्षक का नाम :

1 ____________________ | 1____________________

2 ____________________ | 2 ____________________

3 ____________________ | 3 ____________________

4 ____________________ | 4 ____________________

5 ____________________ | 5 ____________________

ठेकेदार के हस्ताक्षर
दिनांक :

मुख्य बिजली निरीक्षक,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

नवीकरण की तिथि	समाप्ति की तिथि	मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा के अद्योहस्ताक्षर

प्ररूप X

[देखिए नियम 15 (1)]

बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

मैं, इसके द्वारा, मेरे बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ, जो इसके साथ संलग्न है और ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="2">आवेदक का नाम (जैसा बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति में दिया गया है)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">पिन कोड सहित पता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">क्या आवेदन नवीकरण के लिए विलम्ब से किया गया है, यदि ऐसा है तो नवीकरण के लिए विलम्ब की अवधि (मास और वर्ष में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">जमा करवाई गई फीस के ब्यौरे</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">खजाना का नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td colspan="2">जीआरएन संख्या और चालान की तिथि</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">जमा करवाई गई राशि</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">क्या पता में कोई परिवर्तन है? यदि ऐसा है, तो नया पता वर्णित करें।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(क)</td><td>वर्तमान पता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(ख)</td><td>क्या अनुज्ञप्ति में पता में परिवर्तन भी किया जाना है ? यदि ऐसा है, तो नया पता वर्णित करें।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">क्या उपकरणों की हरियाणा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार आवश्यक जांच करवाई गई है।</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="4">आवेदन की तिथि को अमले के ब्यौरे (पर्यवेक्षक और तार मिस्त्री)</td></tr>
<tr><td colspan="2">नाम</td><td colspan="2">बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति संख्या</td><td>वैधता की तिथि</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="3">क्या अमले कोई परिवर्तन था ? यदि ऐसा है, तो मुख्य बिजली निरीक्षक को सूचना देने की तिथि विनिर्दिष्ट की जानी।</td><td></td></tr>
</table>

घोषणा

1. आवेदन में दी गई जानकारी सही है।
2. मैं/हम, अनुज्ञप्ति के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों में सभी रजिस्टर और लेखों का रखरखाव करूँगा/करेंगे।
3. मैं, ठेकेदार के रूप में/ठेकेदार के निमित्त आवेदन हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान :_______________

दिनांक :_______________ आवेदक के हस्ताक्षर

निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं :–

1. बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति।
2. सक्षमता प्रमाण–पत्र और तार मिस्त्री परमिट, जो फर्म/कंपनी में कार्यरत हैं और इसके साथ उनकी लिखित सहमति और व्यक्तिगत रूप में उपस्थिति, यदि ऐसा समझना आवश्यक हो।
3. शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट आयकर विवरणी और तुलन पत्र।
4. बिजली उपकरणों के संबंध में एनएबीएल या सरकारी जांच प्रयोगशाला से व्यासमापन प्रमाण–पत्र।
5. बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रतिवर्ष निष्पादित किए गए कार्यों के ब्यौरे।
6. अनुबंध III की प्रति।
7. प्ररूप ड. की प्रति।
8. लेखा शीर्ष : '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 –51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां' के अधीन हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के प्रयोजन हेतु खजाना चालान।

प्ररूप XI

{देखिए नियम 15 (3)}

केवल हरियाणा राज्य हेतू | केवल 650 वोल्टेज तक प्राधिकृत

संख्या – | दिनांक

'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु फॉरमैट

इसके द्वारा, श्री / श्रीमती ____

____

की अनुबंध VI में यथाविहित शर्तों के अध्यधीन हरियाणा राज्य में विद्युत प्रतिष्ठापन कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाता है।

स्वामी / भागीदारों / निदेशकों के नाम :	पर्यवेक्षक का नाम :
1 ____________	1 ____________
2 ____________	2 ____________
3 ____________	3 ____________
4 ____________	4 ____________
5 ____________	5 ____________

ठेकेदार के हस्ताक्षर
दिनांक :

मुख्य बिजली निरीक्षक,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

नवीकरण की तिथि	समाप्ति की तिथि	मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा के अद्योहस्ताक्षर

प्ररूप XII

{देखिए नियम 15}

बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के उन्नयन के लिए आवेदन

1	स्तर, जिसके लिए बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति उन्नयन के लिए आवेदन किया गया है	
2	फर्म का नाम– व्यावसायिक पता– पिन कोड– ई मेल– दूरभाष नं०–	
3	कंपनी की शैली : कंपनी अधिनियम के अधीन सम्बद्ध स्वामित्व/कंपनी/फर्म यदि कंपनी/फर्म है, तो फर्म/कंपनी की स्थिति को साबित करने के लिए दस्तावेज संलग्न करे।	
4	क्या कंपनी के पास हरियाणा/राज्य संघक्षेत्र चण्डीगढ़/एनसीटी दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय।	
5	स्वामित्व या भागीदारों/निदेशकों का पूरा नाम और पता 1 2 3 4	
6	एजेंट या प्रबन्धक का पूरा नाम (लिमिटेड कंपनी के मामले में)	
7	क्या आवेदक विनिर्माण फर्म या उत्पादन ईकाई है।	
8	दस्तावेजों और हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम।	
9	क्या कोई ठेकेदार अनुज्ञप्ति पूर्व में उसी नाम से प्रदान की गई है ? यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे दें।	
10	क्या कोई ठेकेदार अनुज्ञप्ति किसी अन्य राज्य से इसी नाम से प्रदान की गई है? यदि ऐसा है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :– जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम – जारी करने की तिथि – अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि – निष्पादित किए जाने वाले अनुमत कार्य के ब्यौरे –	
11	क्या ड्राईंग, ब्लू प्रिंट इत्यादि को तैयार करने के लिए पर्याप्त ड्राईंग कार्यालय की सुविधाएं उपलब्ध है (650 वोल्टेज से अधिक के मामले में)।	
12	क्या खाना 13 में दर्शाया गया अमला, इन नियमों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के अनुसार कार्य करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित हैं।	

13	तकनीकी योग्यताएं और अनुभव, जो ए श्रेणी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं, रखने वाले पूर्णकालिक आधार पर नियोजित सभी व्यक्तियों के नाम।			
क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	योग्यताएं	प्रमाण–पत्र और परमिट संख्या तथा उनकी वैधता की तिथि	क्या संलग्न प्ररूप में की गई घोषणा साथ लगाई गई है

14. क्या अनुबंध–II के अनुसार ई–पुस्तकालय/पुस्तकालय उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो सबूत संलग्न करें।

15. हरियाणा में किए गए प्रमुख कार्य

(विद्युत निरीक्षाणालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार योजना, प्रतिष्ठान आदि के विवरण की सूची के साथ संलग्न किया जाना चाहिए)।

16. (i) राज्य अनुज्ञापन बोर्ड/ मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा,

(ii) सरकार और अन्य एजेसियों,

(iii) किसी विधि न्यायालय द्वारा, कंपनी/फर्म पर अधिरोपित दंड और शास्ति के ब्यौरे।

घोषणा

- मैंने/हमने बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति 'ए' श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए शर्तों और आवेदन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और प्रांसगिक दस्तावेज कालानुकमिक क्रम में संलग्न हैं।
- मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते है कि खाना 13 में विनिर्दिष्ट अमला, इन नियमों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के अधीन कार्य करने के लिए विशेष रूप से आशयित है। अमले की सेवा, स्थापना के नियमित संचालन के लिए उपयोग नहीं की जाएगी और न ही उन्हें उक्त विनियमों के विनियम 3 और 5 के अधीन नियोजित अमले के साथ मिलाया जाऐगा। मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ–साथ विद्युत प्रतिष्ठान से संबंधित भारतीय मानक संस्थानों के अभ्यास और मानकों के प्रासंगिक की संहिता की प्रति है। मैं/हम निबंधनों और शर्तों, जिसके अधीन बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, को पूर्ण रूप से समझता हूँ/समझते हैं, जिनमें से किसी का उल्लंघन अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए दायी होगा।
- मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम श्रम विधियों के प्रसांगिक प्रावधानों का पालन करूगा/करेंगे।
- मैं/हम इसके द्वारा ऐसे रजिस्टरों और अभिलेखों को बनाए रखने के लिए भी सहमत हूँ/हैं, जो बोर्ड द्वारा इस परियोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूपों में विहित किए जाए।
- मैं/हम, इसके द्वारा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन में प्रस्तुत तथ्य मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य और सही है और इनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- मैं/हम इसके द्वारा, फर्म के निमित्त व्यक्तिगत रूप में इस आवेदन को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं।
- मैं/हम पूरी तरह से जानता हूँ/जानते हैं कि इस स्वतः घोषणा की वैधता किसी विधि न्यायालय में सम्यक् रूप से तथ्य के कथन की शपथ के समरूप है और इस आवेदन में उपलब्ध करवाई गई कोई झूठी जानकारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की प्रासिंगक धाराओं के अधीन दण्ड के लिए दायी होगी।

स्थान : ____________________

दिनांक :____________________ आवेदक/फर्म/कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज :

1. सक्षमता प्रमाण–पत्र और तार मिस्त्री परमिट, जो फर्म/कंपनी में कार्यरत हैं और इसके साथ उनकी लिखित सहमति और व्यक्तिगत रूप में उपस्थिति, यदि ऐसा समझना आवश्यक हो।
2. शर्तों में यथा विनिर्दिष्ट आयकर विवरणी और तुलन पत्र।
3. बिजली उपकरणों के संबंध में एनएबीएल या सरकारी जांच प्रयोगशाला से व्यासमापन प्रमाण–पत्र तथा उनके बिल।
4. बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के आधार पर निष्पादित किए गए कार्यों का ब्यौरा।
5. अनुबंध **III** तथा **V** की प्रतियां।
6. हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के खजाना चालान की प्रति।
7. लेखा शीर्षः '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 –51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां'।

प्ररूप XIII

{देखिए नियम 22 (1)}

सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट/बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि के लिए आवेदन

मैं, इसके द्वारा, मेरे सक्षमता प्रमाण–पत्र/तार मिस्त्री परमिट/बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि के लिए आवेदन करता हूँ, जो इसके साथ संलग्न हैं और ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

1 (क)	आवेदक का नाम जैसा सक्षमता प्रमाण–पत्र/तार मिस्त्री परमिट/बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति में है।	
(ख)	आयु और जन्म तिथि	
(ग)	तिथि जिसको आवेदक पचपन वर्ष पूर्ण करता है।	
2	पिन कोड के साथ पता	
3	दस्तावेज, जिसकी प्रतिलिपि आवश्यक है अर्थात् सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट/बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति (दस्तावेज की संख्या और तिथि विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए)	
4	केवल अनुज्ञप्ति, प्रमाण–पत्र और परमिट की समाप्ति की तिथि	
5	क्या दस्तावेज गुम हो गया है, विकृत हो गया है, विरूपित हो गया है या नष्ट हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है।	
6	यह कब नष्ट या गुम हुआ था और क्या नष्ट या गुम होने का कोई प्रमाण उपलब्ध है।	
7	संलग्न विकृत दस्तावेज के ब्यौरे या क्षतिग्रस्त दस्तावेज का विवरण	
8	भुगतान की गई फीस का विवरण	

खजाना का नाम	चालान संख्या तथा तिथि	राशि

घोषणा

मैं, ________________________, इसके द्वारा, प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य और सही हैं। मेरी अनुज्ञप्ति/सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट संख्या ________________________ दिनांक ________________________ को गुम/नष्ट/क्षतिग्रस्त/विकृत/विरूपित हो गया है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि यदि मूल दस्तावेज बाद में प्राप्त होता है या मिलता है, तो मैं इसे मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा को वापिस लौटा दूँगा।

मैं, फर्म के निमित्त व्यक्तिगत रूप में इस आवेदन को हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान : ________________________

दिनांक : ________________________ आवेदक के हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :

1. सक्षमता प्रमाण पत्र / तार मिस्त्री परमिट / बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति की प्रति।
2. नष्ट या गुम होने का सबूत या विकृत / क्षतिग्रस्त होने के लिए शपथ पत्र।
3. डी०डी०आर० / एफ०आई०आर० की प्रति।
4. हरियाणा के किसी खजाने में जमा करवाई गई फीस के खजाना चालान की प्रति।
5. शीर्ष लेखा : '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043 –51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां '।
6. पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ (सक्षमता प्रमाण पत्र / तार मिस्त्री परमिट की दशा में)।
7. धारक के हस्ताक्षर के तीन नमूने (सक्षमता प्रमाण पत्र / तार मिस्त्री परमिट की दशा में)।

अनुबंध –I

{देखिए नियम 4 (ख) तथा 5 (ख)}

सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट के नवीकरण के लिए सरकारी /सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल द्वारा जारी चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र के लिए प्रर्फोमा

नाम : ______________________ पिता का नाम : ______________________

आयु : ____________ वर्ष लिंग : पुरूष/महिला लंबाई : ____________ वजन : ____________

संक्षिप्त नैदानिक इतिहास, यदि कोई हो :

1	परीक्षण			
	(क) सामबन्य शारीरिक परीक्षण		(ख) श्रवण	
	(ग) प्रणालीगत परीक्षण		(घ) दृष्टि	
2	जांच			
	(अ) रक्त विज्ञान			
	(क) एचबी (ग) डीएलसी		(ख) टीएलसी (घ) परिधीय धब्बा	
	(आ) जैव रसायन			
	(i) रक्त शुगर			
	(क) एफ		(ख) पी पी	
	(ii) लिपिड प्रोफाइल			
	(क) कुल कोलेस्ट्रॉल		(ख) एच डी एल कोलेस्ट्रॉल	
	(ग) एलडीएल कोलेस्ट्रॉल		(घ) यू एल डी एल कोलेस्ट्रॉल	
	(ड.) ट्राइग्लिसराइड टेस्ट			
	(iii) लिवर फंक्शन टेस्ट			
	(क) कुल बिलीरूबिन		(ख) प्रत्यक्ष बिलीरूबिन	
	(ग) अप्रत्यक्ष बिलीरूबिन		(घ) एस जी ओ टी	
	(ड.) एसजीपीटी		(च) एएलके फॉस्फेस्ट	
	(छ) एस प्रोटीन		(च) एएलके फॉस्फेस्ट	
	(छ) गलोबिलीन टेस्ट			
	(iv) किडनी फंकशन टेस्ट			
	(क) यूरिया		(ख) क्रिएटिनिन	
	(ग) यूरिक एसिड		(घ) इलैक्ट्रोलाइट्स	
	(ड.) ना*		(च) के ना*	
	(छ) कैल्शियम		(ज) इनोग्रानीक फास्फोसेट	
	(v) कार्डिएक प्रोफाइल			

	(क) सीपीके		(ख) सी के –एम बी	
	(ग) एलडीएच			
	(vi) यूरीन			
	(i) नियमित (क) शुगर		(ख) अल्बुमिन	
	(ii) सूक्ष्म			
	(vii) ईसीजी			
	(viii) एक्स रे चैस्ट			
	(ix) अल्ट्रा साउंड अब्दीन			
	शारीरिक क्षमता परीक्षा			
	कोई भी अन्य जांच			

सलाह

अधिकारी की चिकित्सा रिपोर्ट

1	अधिकारी का हीमोगलोबिन स्तर	सामान्य / कम है
2	ब्लड शुगर स्तर	संतोषजनक / सामान्य / उच्च / कम है
3	अधिकारी का कोलेस्ट्रॉल स्तर	सामान्य / उच्च / कम है
4	लीवर फंक्शनिंग	संतोषजनक / सामान्य / दुष्क्रिया है
5	गुर्दे की स्थिति	सामान्य / दोनों–एक किडनी बेहतर रूप से कार्य नहीं कर रही है
6	कार्डिएक स्थिति	सामान्य / बढ़े हुए / अवरूद्ध / सामान्य नहीं है
7	बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स)	कम वनज / सामान्य / अधिक वजन / मोटापे से ग्रस्त है
8	धैर्य की परीक्षा	उत्कृष्ट / सामान्य / कम है

चिकित्सा रिपोर्ट का सांराश

1	शारीरिक फिटनेस	उत्कृष्ट / फिट / अनफिट है
2	अधिकारी का समग्र स्वास्थ्य	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / औसत है
3	कोई भी अन्य टिप्पणी अधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण पर आधारित है।	
4	क्या क्षेत्रीय डयूटी के लिए फिट है	हाँ / नहीं

दिनांक :

चिकित्सा प्राधिकरी के हस्ताक्षर

पदनाम :

अनुबंध– II

{देखिए नियम 12 (घ)}

1. पुस्तकालयः आवदेक का पुस्तकालय/ई–पुस्तकालय निम्न अनुसार होना चाहिए

   (i) विद्युत अधिनियम, 2003, (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपाय) विनियम, 2010.

   (ii) आपूर्ति संहिता।

   (iii) हरियाणा सरकार द्वारा जारी प्रथम श्रेणी बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए शर्तें।

   (iv) राष्ट्रीय भवन संहिता–बिजली।

   (v) बिजली निरीक्षणालय।

   (vi) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड।

   (vii) सुरक्षा निर्देशिका।

   (viii) मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा और बिजली निरीक्षणालय द्वारा, समय–समय पर, यथा निर्देशित सभी आवश्यक वी.आई.एस. विशिष्टियाँ ।

   (ix) श्रम अधिनियम तथा विधियाँ।

2. बिजली प्रतिष्ठान के लिए ड्राइंग तैयार करने हेतु सुविधाएँ।

अनुबंध –III

{देखिए नियम 12 (ङ.)}

बिजली ठेकेदार के साथ कार्य करने के लिए पर्यवेक्षक/तार मिस्त्री द्वारा घोषणा का प्रर्फोमा

1. मैं, ____________________ इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ कि मैं पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में श्री/श्रीमती/मैसर्ज ____________________ के अधीन कार्य करने का इच्छुक हूँ/कार्य कर रहा हूँ। मेरा पर्यवेक्षक/तार मिस्त्री परमिट संख्या ____________ है। यह दिनांक ____________________ तक वैद्य है।

2. मैं, श्री/श्रीमती/मैसर्ज ____________________ के अधीन वर्तमान में नियोजित हूँ। मैंने पहले से ही उसे अपनी सेवा छोड़ने के आशय का नोटिस दिनांक ____________________ को दे दिया है/दूँगा।

3. मैं, मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा के साथ–साथ ____________________, जिसके अधीन मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ, को मेरे नियोजन में किसी बदलाव की स्थिति की सूचना दूँगा।

4. मैं, इसके द्वारा, प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं बिजली अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के साथ–साथ हरियाणा अनुज्ञप्ति की शर्तों और मुख्य बिजली निरीक्षक हरियाणा द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्रों/अनुदेशों की भी पालना करूँगा।

5. मैं, केवल उपरोक्त फर्म/ठेकेदार के साथ कार्य करूँगा। यदि मैं किसी अन्य फर्म/कंपनी/निजी संगठन/ठेकेदार के साथ कार्य करता हुआ पाया जाता हूँ, तो विभाग मेरे विरूद्ध कार्रवाई कर सकता है।

6. मैं चार्टर्ड बिजली सुरक्षा अभिंयता के रूप में भी कार्य नहीं करूँगा।

स्थान : पर्यवेक्षक/तार मिस्त्री का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक :

अनुबंध –IV

{देखिए नियम 12 (च)}

बिजली उपकरण : निम्नलिखित उपकरण खरीद किए जाने हैं और वे आई०एस०आई० मार्क/समकक्ष गुणवत्ता के होने चाहिए और उपकरणों की जांच के समय पर बीजक सहित जांच प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और उपकरणों की सरकार द्वारा अनुमोदित एन०ए०बी०एल० मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा समयक् रूप से जांच होनी चाहिए। प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद भी उपकरणों की सरकार द्वारा अनुमोदित एन०ए ०बी०एल० मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा समयक् रूप से जांच होनी चाहिए।

क. एलटी लेवल –

1. इन्सुलेशन मेगागर 500 वी 0.50 मेगा ओमज।
2. परीक्षण किट के साथ भूमि टेस्टर 0.5 ओमज, जिसका विस्तार पैमाने के साथ हो।
3. दो नग नियॉन टैस्टर।
4. फ्रीकवेंसी मीटर 45 से 55 एच जेड।
5. टोंग टेस्टर 0.1000 एम्पयर (चयनकर्ता स्विच के साथ 10ए से अलग रेंज को मापने के लिए)।
6. मल्टीमीटर (डिजिटल प्रकार) एसी/डीसी।
7. 2 विद्युयत प्रयोजनों के लिए रबड़ हाथ के दस्ताने के जोड़े।
8. 2 नग अछुता सरौता।
9. सभी तारें के उपकरण और अन्य उपकरण जो विभाग द्वारा आवश्यक समझे जा सकते हैं।

ख. एचटी/ईएचटी ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए खरीदे जाने वाले और बनाए जाने वाले अन्य उपकरण।

(i)	इन्सुलेशन मेगर 5000 वी 5000 मैगा मोटरस (मोटराईज चालित/इलैक्ट्रिकल प्रकार)
(ii)	चरण अनुक्रम टेस्टर।
(iii)	स्पैनर सेट
	(क) डबल एण्ड
	(ख) बॉक्स
	(ग) रिंग
	(घ) एडजस्टेबल टाइप
(iv)	एलन की सेट
(v)	काटने सरौता (अछूता)
(vi)	माईक्रोमीटर/सक्रू गैज
(vii)	नौज की सरौता
(viii)	मापने टेप
(ix)	(क) 15 एम (ख) 50 एम
(x)	स्प्रे बंदूक के साथ पोर्टेबल कंप्रेसर
(xi)	ब्लौअर
(xii)	सभी आकार के स्कू ड्राइवर
(xiii)	पोर्टेबल वेल्डिंग सेट

(xiv)	डाई सेट के साथ उपकरण समेटना
(xv)	(क) हाथ संचालित (ख) हाईड्रोलिक
(xvi)	केबल बिछाने के लिए रोलर्स
(xvii)	पोर्टेबल चक्की
(xviii)	सुरक्षा बैल्टस
(xix)	रबर के दस्ताने
(xx)	पोर्टेबल ड्रिल
	(क) भारी शुल्क
	(ख) लाइट डयूटी
(xxi)	पाइप ग्रेडिंग और जड़ने के लिए उपकरण
(xxii)	छिलने के औजार, छैनी आदि।
(xxiii)	केवल जोड़ने की सुविधा।
(xxiv)	निमार्ण और सामग्री से निपटने की सुविधा।

ग. ईएचटी ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएँ भी प्रदान की जानी है।

1	चयनकर्ता स्विच के साथ डिजिटल अर्थ क्लैप टेस्टर 0.01 से 50 ओमज।
2	पोर्टेबल पीएफ मीटर 5ए 240 वी एसी
3	भारी मशीनरी के संचालन के लिए सुविधा
4	तेल छानने और परीक्षण की सुविधा
5	रिले परीक्षण किट
6	उच्च वोल्टेज परीक्षण सुविधाएं

टिप्पण.– क्रम संख्या 3 से 6 में वर्णित अतिरिक्त सुविधाएँ, प्रासंगिक करार/सहमति उपलब्ध करवाते हुए किसी भी फर्म/कंपनी से आउटसोर्स की जाएंगी।

अनुबंध –V

{देखिए नियम 12 (च)}

मैं, ____एकमात्र स्वत्वधारी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मैसर्स ____

(पूर्ण पता), जिसका पंजीकृत मुख्य कार्यालय में है, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि :–

1. मैं____का एकमात्र स्वत्वधारी हूँ।
2. मैं पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म मेसर्स ____ ____को सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
3. मैं पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म मेसर्स ____ ____ किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है और पिछले पांच वर्षों के दौरान चोरी के किसी भी आपराधिक कार्य के लिए कोई आरोप–पत्र जारी नहीं किया गया है।
4. मैं आगे वचन देता हूँ कि शपथ में यथा वर्णित उपरोक्त तथ्यों के मामलें में और मेरे आवेदन में उल्लिखित कोई विवरण, किसी भी स्तर पर अन्यथा गलत पाया जाता है, तो मेरी फर्म अनुज्ञप्ति रद्द समझी जाए और किसी नोटिस के बिना, अनुज्ञप्ति की समाप्ति सहित सभी ऐसी कार्रवाई, जो उचित समझी जाए, विभाग द्वारा की जाएंगी।
5. मुझे ज्ञात है कि शपथ–पत्र द्वारा झूठी शपथ लेना, विधि के अधीन अपराध है और ऐसे ज्ञान के साथ मैंने इस शपथ–पत्र के माध्यम से शपथ ली है।

(स्वत्वधारी के हस्ताक्षर तथा मोहर)
अभिसाक्षी

सत्यापित किया जाता है कि वचनबद्धता के पैरा 1 से 5 के तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य और सही हैं और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है और इसमें किसी भी सामग्री को छुपाया नहीं गया है या गलत रूप से कथित नहीं किया गया है।

(स्वत्वधारी के हस्ताक्षर तथा मोहर)
अभिसाक्षी

अनुबंध –VI

{देखिए नियम 13 (1)}

शर्त

1. यह अनुज्ञप्ति, उन बिजली ठेकेदारों, जिन्हें हरियाणा राज्य के भीतर अनुज्ञप्ति में प्रतिबंधित निम्न दबाव/मध्यम दबाव/उच्च दबाव/अतिरिक्त उच्च दबाव वाले कार्यों के विद्युत प्रतिष्ठानों के कार्यान्वयन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करती है।

(क) जहाँ कोई बिजली ठेकेदार, हरियाणा राज्य में स्थापित एक या एक से अधिक शाखाओं से अपने व्यवसाय का संचालन करता है, तो सक्षम प्राधिकारी को सूचना देते हुए, वह सक्षमता, जिसके लिए उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, के अनुसार प्रत्येक शाखा के लिए एक अतिरिक्त बिजली पर्यवेक्षक को नियोजित कर सकता है और उसके पास एक से अतिरिक्त उपकरणों का सेट होना चाहिए।

(ख) जहाँ कोई बिजली ठेकेदार, हरियाणा राज्य में स्थापित एक से अधिक शाखाओं से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए केवल एक पर्यवेक्षक का नियोजन करता है और उपकरणों का केवल एक सेट रखता है, तो तब तक अन्य शाखा में बिजली स्थापना कार्य नहीं कर सकता, जब तक वह,–

(i) ऐसी अन्य शाखा में कार्य करने के लिए एक अतिरिक्त पर्यवेक्षक नियोजित नहीं करता है और उपकरणों का एक अतिरिक्त सेट नहीं रखता है ;

(ii) ऐसी अन्य शाखा में कार्य की प्रगति के दौरान, उस शाखा के सभी कार्यों को निंलबित नहीं कर देता है, जिसमें उसका व्यवसाय सामान्य रूप से संचालित होता है।

2. बिजली ठेकेदार, उपकरणों को चालू क्रम में रखेगा।

3. बिजली ठेकेदार, हर समय किसी या सभी उपकरणों की जांच और परीक्षण के लिए बिजली निरीक्षक सरकार, हरियाणा या उनके प्रतिनिधि को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

4. बिजली ठेकेदार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय), विनियम, 2010 के विनियम 29 के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी को उसके द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षकों के नाम और प्रमाण–पत्र संख्या लिखित रूप में सूचित करेगा। जब ठेकेदार की सेवा में रहा कोई पर्यवेक्षक उसकी सेवा छोड़ता है, तो ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा।

5. सम्पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट– बिजली प्रतिष्ठान, जिसको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय), विनियम, 2010 के विनियम 29 लागू होता है, का कार्य सम्पूर्ण होने के बाद, अनुज्ञप्ति धारक बिजली ठेकेदार द्वारा, सम्बद्ध बिजली आपूर्ति उपक्रम को परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी परीक्षण रिपोर्ट पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, जिसकी पर्यवेक्षण में कार्य किया गया है, और अनुज्ञप्ति धारक बिजली ठेकेदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की जाएगी।

6. यदि बिजली ठेकेदार को कदाचार, लापरवाही या किसी अनाचार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर सकता है।

7. सक्षम प्राधिकारी, यदि ठेकेदार अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है, या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए इस अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकता है।

8. सक्षम प्राधिकारी, यदि ठेकेदार इस अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है, या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए, इस अनुज्ञप्ति को या तो अपनी स्वप्रेरणा से या इस प्रयोजन के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश पर निंलबित या रद्द कर सकता है।

9. यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में, प्रथम दृष्टया कदाचार और/या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के गम्भीर उल्लंघन का मामला के विरूद्ध विद्यमान हैं, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे ठेकेदार की अनुज्ञप्ति निलंबित कर सकता है।

10. अनुज्ञप्ति, समय–समय पर, नवीकरणीय होगी और यदि इसे देय तिथि पर नवीनीकृत नहीं किया जाता है, तो यह स्वतः रद्द हो जाएगी और नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सम्पूर्ण प्रारम्भिक फीस/विलम्ब फीस, यदि कोई हो, प्रभार्य होगी। तथापि, फर्म, ठेकेदार प्रतिवर्ष निष्पादित किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेगी। यद्यपि, अनुज्ञप्ति तीन वर्ष से अधिक समय तक रद्द रहता है, जो आवेदक एक नया आवेदन करेगा।

11. यदि सक्षमता प्रमाण–पत्र धारक या धारकों, जिसे/जिनको प्रमाण पत्र/पत्रों की सक्षमता पर यह अनुज्ञप्ति दी गई है, द्वारा ठेकेदार की सेवा छोड़ी जाती है या समय पर सक्षमता प्रमाण पत्र/तार मिस्त्री परमिट नवीकृत नहीं करवाया जाता है, तो ठेकेदार की अनुज्ञप्ति निलम्बित समझी जाएगी और इसे उस समय तक निलम्बित समझा जाएगा, जब तक ठेकेदार सक्षमता प्रमाण–पत्र धारक व्यक्ति को दौबारा नियोजित नहीं करता है या उसका नवीकरण नहीं करवाता है। तथापि, ठेकेदार, अन्तराल अवधि के दौरान, अपना कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा।

12. यदि इस अनुज्ञप्ति, ठेकेदार द्वारा धारित सक्षमता प्रमाण–पत्र के आधार पर उसके नाम से प्रदान की गई है, तो ठेकेदार द्वारा किसी अन्य बिजली ठेकेदार के तहत रोज़गार स्वीकार करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

13. पर्यवेक्षक को अंश कालिक नियोजित नहीं किया जाएगा और न ही वह एक ही समय पर एक से अधिक ठेकेदारों के पास नियोजित होगा।

14. कार्य प्रारम्भ करने की सूचना–लैंप, पंखे, फयूज, स्विज और इंस्टालेशन के अन्य घटक भागों को छोड़कर, विद्यमान प्रतिष्ठानों, में इनकी क्षमता या स्वरूप में परिवर्तन के बिना, परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मत और समायोजन सहित बिजली प्रतिष्ठान के कार्य की सूचना 48 घन्टे के भीतर सक्षम प्राधिकारी के साथ–साथ और स्थानीय आपूर्ति कार्यालय को देगा।

15. ठेकेदार का अमला :–

(क) बिजली ठेकेदार के सभी तार मिस्त्री प्रमाणिक और पूर्णकालिक होगें, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी तार मिस्त्री परमिट हो, बशर्तें ठेकेदार, प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर सकता है, ऐसे मामले में किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित कुल प्रशिक्षुओं की कुल संख्या किसी भी समय पर, कुलियों को छोड़कर , प्रशिक्षुओं को शामिल करते हुए उसके कुल वायरिंग अमले के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसकें अलावा आगे, ठेकेदार इन प्रशिक्षुओं को परिसर में सक्षमता प्रमाण–पत्र धारित किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, तथा एक प्रमाणिक तार मिस्त्री के निर्देशाधीन के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय), विनियम, 2010 के विनियम 29 के अधीन आने वाले विद्यमान प्रतिष्ठान की मरम्मत और समायोजन के रूप में विद्यमान प्रतिष्ठानों में परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मत और समायोजन सहित किसी बिजली कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। बशर्तें ठेकेदार प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर सकता है,

(ख) प्रत्येक बिजली ठेकेदार रजिस्टर, प्ररूप ड. में, पर्यवेक्षकों, तार मिस्त्री और उनके द्वारा नियोजित किए गए प्रशुिक्षओं का रजिस्ट्रर बनाए रखेगा और दैनिक उपस्थिति को बनाए रखेगा, जिसकी सक्षम प्राधिकारी से भी जांच करवाई जाएगी। कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली मासिक मजदूरी का रिकार्ड भी रखा जाएगा। बिजली निरीक्षक या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए रजिस्टर खुला रहेगा। किसी भी व्यक्ति, जिसका नाम ऐसे रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है, ठेकेदार के वायरिंग अमले का प्रमाणिक कर्मचारी नहीं होगा।

(ग) प्रत्येक ठेकेदार इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि वह श्रम विधियों के प्रासंगिक प्रावधानों की अनुपालना करेगा।

प्ररूप–ड.

________________मास____________वर्ष के लिए मैसर्ज ______________________________
द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक, तार मिस्त्री वायरमैंन और प्रशिक्षुओं का रजिस्टर :–

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	1, 2, 3, 4 और आगे तिथियाँ इस प्रकार	कुल दिन	कुल मजदूरी	हस्ताक्षर

16. कार्य संहिता की अनुपालना करते हुए प्रतिष्ठान कार्य :– किसी भवन में प्रतिष्ठान और फिटिंग का कार्य, भारतीय मानक संस्था द्वारा वर्ष 1958 में जारी भारतीय मानक विनिर्दिष्ट संख्या 732–1958 के अनुसार भवन में बिजली कार्य तथा फिटिंग के लिए "कार्य संहिता" की अनुपालना की जाएगी।

अनुसूची

{देखिए नियम 6(1), 8 (1), 10, 11,15 (1), 18 तथा 20}

फीस के स्केल

1. फीस– नीचे विहित स्केल के अनुसार सक्षमता प्रमाण पत्र, परमिट और बिजली ठेकेदार को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए फीस प्रभारित की जाएगी :–

क. सक्षमता प्रमाण पत्र –

1	सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करना	200/–रूपए
2	पर्यवेक्षण सक्षमता प्रमाण–पत्र की वार्षिक नवीकरण फीस	200/–रूपए
3	पर्यवेक्षण सक्षमता प्रमाण–पत्र का तीन वर्ष के लिए नवीकरण फीस	550/–रूपए
4	पर्यवेक्षण सक्षमता प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि	200/–रूपए
5	अनुग्रह अवधि के बाद नवीकरण के लिए विलम्ब फीस	100/–रूपए
6	अन्य राज्यो द्वारा जारी किए गए पर्यवेक्षक प्रमाण–पत्र की अन्तर्राज्य मान्यता	550/–रूपए

ख. तार मिस्त्री परमिट –

1	तार मिस्त्री परमिट जारी करना	100/–रूपए
2	तार मिस्त्री परमिट की वार्षिक नवीकरण फीस	100/–रूपए
3	तार मिस्त्री परमिट की तीन वर्ष के लिए नवीकरण फीस	250/–रूपए
4	अनुग्रह अवधि के बाद नवीकरण के लिए विलम्ब फीस	50/–रूपए
5	तार मिस्त्री परमिट की प्रतिलिपि	100/–रूपए

ग. बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति –

1	प्रारंभिक फीस	3350/–रूपए
2	वार्षिक नवीकरण फीस	1050/–रूपए
3	एचटी/ईएचटी के लिए विशेष अनुज्ञप्ति जारी करना	2100/–रूपए
4	अनुग्रह अवधि के बाद बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतू विलम्ब फीस	300/–रूपए
5	बिजली ठेकेदार अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि के लिए फीस	150/–रूपए

टिप्पण :– (1) ये दरें इनके लागू होने के तिथि के प्रत्येक तीन वर्ष बाद 20 प्रतिशत बढ़ाई जायेंगी। उपरोक्त दरें सरकार की अधिसूचना संख्या 26/4/1999–2 विद्युत, दिनांक 15.11.2016 द्वारा अधिसूचित की गई थी।

(2) दरें अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू की जायेंगी।

(3) फीस का भुगतान, '0043 बिजली पर कर और शुल्क– अन्य प्राप्तियां अर्थात् 0043–51–800–99–51–अन्य प्राप्तियां' में जमा करवाने के लिए खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा की वैब साइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा और प्रयोजन के लिए जमा करवाई गई फीस का खजाना चालान आवेदन के साथ मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा को प्रस्तुत किया जाएगा।

त्रिलोक चन्द गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।